A 4/15

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 180/2020

आरसीएमएस नम्बर : 2020/00258

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
हिम्मतसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राव निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली		1. ग्राम पंचायत भीटवाडा जरिये सरपंच 2. गजेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह तथाकथित दत्तक पुत्र नाहरसिंह जाति राव निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :–

दिनांक : 02/11/2022

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत भीटवाडा की मिसल संख्या 2/2007–2008, संकल्प संख्या 9 आज्ञा दिनांक 20.07.2008 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 10 दिनांक 20.07.2008 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत भीटवाडा की मिसल संख्या 2/2007–2008, संकल्प संख्या 9 आज्ञा दिनांक 20.07.2008 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 10 दिनांक 20.07.2008 जारी किया गया है। उक्त विक्रय विलेख नियम विरूद्ध जारी किया गया है। ग्राम पंचायत भीटवाडा ने प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली कायम कर एक ही दिन समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.06.2008 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उक्त आपत्ति इश्तिहार कहां–कहां चस्पा किया गया, किन–किन व्यक्तियों के समक्ष चस्पा किया गया, यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। जैर निगरानी पट्टे के संबंध में जिन दो व्यक्तियों के बयान दर्ज किये गये है, उनमें से एक व्यक्ति का नाम अंकित है लेकिन निवास स्थान अंकित नहीं है तथा दूसरे व्यक्ति का नाम, पता कुछ भी अंकित नहीं है, मात्र हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनों बयान भी मिथ्या एवं झुठे है। उपरोक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख स्पष्टतया काबिल खारिज है। नियम 157 में रहवासीय मकान का विनियमन करने का प्रावधान है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार उक्त भूमि भूखण्ड है तथा पटवारी भीटवाडा द्वारा भी जो प्रमाण पत्र दिया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

A4/6

गया है, उसमें भी भूखण्ड ही अंकित है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 10.07.2020 को प्रार्थी की आपत्ति का उल्लेख करते हुए, अप्रार्थी संख्या 2 को पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूखण्ड के पूर्व पट्टे की भूमि बख्तावर कंवर जो नाहरसिंह की बेवा है, ने प्रार्थी के हक में लिखकर कब्जा संबंधी व ठिकाणे के पट्टे की राशि लेने संबंधी का हवाला दिया है। जैर निगरानी पट्टा भूमि का पूर्व में नाहरसिंह पुत्र नाथुसिंह के नाम पट्टा जारी किया है, ग्राम पंचायत को पट्टा सुद भूमि का पुनः पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा अवैधानिक तरीके से जारी किया गया है, जिसे निरस्त फरवाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत भीटवाडा की मिसल संख्या 2/2007–2008, संकल्प संख्या 9 आज्ञा दिनांक 20.07.2008 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 10 दिनांक 20.07.2008 नियमानुसार एवं विधिनरूप जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 श्री नाहरसिंह का दत्तक पुत्र है तथा इसी के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही अपनाते हुए, नोटिस जारी किया गया। जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में यह आपत्ति पेश कि गई है कि उक्त भूखण्ड का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका है, लेकिन ऐसा किसी पट्टे की प्रति प्रार्थी ने निगरानी के संलग्न या बाद में न्यायालय में पेश नहीं की है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई पट्टा जारी ही नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में जो प्रकियात्मक त्रुटियां रखी है या ग्राम पंचायत से रही है, उसका खामियाजा अप्रार्थी संख्या 2 को भुगतना पड़े, यह विधिनुसार नहीं है। जबकि उक्त कमियों के लिए संबंधित कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। निगरानीकर्ता का पुत्र वर्तमान में सरपंच है तथा वह इसी की आड में अप्रार्थी के हक–हकूक के पट्टे को निरस्त करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 के भुखण्ड को हड़पना चाहता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत की मिसल में अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत में विक्रय विलेख हेतु आवेदन पेश किया है, उसमें यह कहीं भी अंकित नहीं है कि वह किसी भूखण्ड/मकान का पट्टा बनवाना चाहता है, उसका नाप–चौक क्या है एवं उसे उक्त भूखण्ड किस तरह प्राप्त हुआ है। मिसल की आदेशिका दिनांक 04.01.2008 में तीन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया, लेकिन किन वार्ड पंचो को नियुक्त किया गया इसका अंकन कहीं नहीं है, साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट पर भी किन–किन वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है यह भी अंकित नहीं है, न ही प्रपत्र किस दिवस बनाया गया बाबत दिनांक का अंकन है तथा भूखण्ड/मकान के पडौस का भी अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जिन दो व्यक्तियों के बयान दर्ज किये गये है, उनमें एक का मात्र नाम अंकित है तथा दुसरे का नाम भी अंकित नहीं है, इस प्रकार के बयान कतई विश्वास योग्य नहीं है। नियम 148 के तहत जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है उस पर पंचायत की मोहर नहीं है, क्रमांक का अंकन नहीं है साथ ही उक्त नोटिस किस स्थान पर चस्पा किया गया तथा किन के सामने चस्पा किया गया, इसका भी अंकन नहीं है, जबकि उक्त नोटिस को दो मौतबिरान के रूबरू चस्पा किये जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी करने में

अति. जिला कलेक्टर पाली

A 4/17

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः इस प्रकार जारी विक्रय विलेख को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत भीटवाडा की मिसल संख्या 2/2007–2008, संकल्प संख्या 9 आज्ञा दिनांक 20.07.2008 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 10 दिनांक 20.07.2008 को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 02/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली